

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †3923
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का परिचालन

†3923. श्री अनन्त नायक:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री खगेन मुर्मु:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री गोडम नागेश:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देशभर में नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के परिचालन में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उत्पादन शुरू करने वाले नीलाम किए गए ब्लॉकों की संख्या कितनी है;
- (ख) मुख्य, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में उक्त परिचालन में लाए गए खनिज ब्लॉकों का क्या योगदान है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का शीघ्र परिचालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक सुधारों, वैधानिक मंजूरीयों और अवसंरचनात्मक सहायता के माध्यम से नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों विशेष रूप से ओडिशा जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में तेजी से परिचालन को सुगम बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो क्यौंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परिचालन में लाए गए, नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देशभर के खनन क्षेत्र में, विशेषकर ओडिशा में और मुख्य रूप से क्यौंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खनिज सुरक्षा, निवेश, रोजगार सृजन तथा सामाजिक-आर्थिक विकास पर इन पहलों के क्या अपेक्षित प्रभाव पड़े हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): वर्ष 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरुआत के बाद से, 721 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिसमें 459 खनन पट्टा (एमएल) ब्लॉक और 262 समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) ब्लॉक शामिल हैं। 459 खनन पट्टा ब्लॉकों के संबंध में, 117 ब्लॉकों के पट्टा विलेख निष्पादित किए जा चुके हैं, जिनमें से 105 ब्लॉकों में खनिज उत्पादन आरंभ हो चुका है। 262 समेकित अनुज्ञप्ति ब्लॉकों के संबंध में, 130 ब्लॉकों में अनुज्ञप्तियां निष्पादित की जा चुकी हैं और उन सभी में गवेषण शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, 1 ब्लॉक को समेकित अनुज्ञप्ति से खनन पट्टे में अपग्रेड किया गया है और उसमें खनिज उत्पादन आरंभ हो चुका है। इसका राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। इन खनिज ब्लॉकों को प्रचालन में लाने से लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क और बॉक्साइट जैसे प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो रही है तथा इस्पात, सीमेंट और एल्युमिनियम आदि प्रमुख क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ रही है।

(ग) और (घ): सरकार ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों में शीघ्र प्रचालन आरंभ करने के लिए ओडिशा सहित सम्पूर्ण देश में कई कदम उठाए हैं जिससे घरेलू खनिज उत्पादन में वृद्धि की जा सके, खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा सके तथा विनियामक सुधारों, समन्वित निगरानी, त्वरित वैधानिक मंजूरीयों और डिजिटल हस्तक्षेपों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। क्यॉझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नीलाम किए गए 20 प्रमुख खनिज ब्लॉकों में से 14 ब्लॉकों में प्रचालन आरंभ हो गया है।

खनिज ब्लॉकों में शीघ्र प्रचालन आरंभ करने के लिए किए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

- i. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में मध्यवर्ती समय-सीमा आरंभ करने, अधिमानित बोलीदाता की स्वतः घोषणा और आशय पत्र (एलओआई) का स्वतः निर्गमन, बोलीदाताओं और राज्य सरकारों द्वारा होने वाली देरी के लिए जवाबदेही और शीघ्र प्रचालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करने के लिए संशोधन किया गया है।
- ii. नीलाम किए गए ब्लॉकों की निरंतर निगरानी के लिए खान मंत्रालय में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।
- iii. नीलामी से प्रचालन तक खनिज ब्लॉक के जीवनचक्र की एंड-टू-एंड ट्रेकिंग और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में एकीकृत खनन पोर्टल (यूएमपी) का विकास।
- iv. सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और प्रचालन की प्रगति की निगरानी करने तथा सामने आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- v. माननीय केंद्रीय खान मंत्री और सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनन, वन, पर्यावरण, राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों और संबंधित बोलीदाताओं के साथ राज्य-विशिष्ट समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- vi. प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा नीलामी प्रक्रिया से पूर्व भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नीलामी-पूर्व समितियों का गठन किया गया है ताकि बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और शीघ्र प्रचालन को सुगम बनाया जा सके।
- vii. नीलाम की गई खानों के प्रचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उनके शीघ्र प्रचालन के लिए प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।
- viii. पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एस ए एस सी आई) के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकारों को प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गति तेज करने और खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।
- ix. मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को शामिल करने का प्रावधान, खनन पट्टा (एमएल)/समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) के लिए एकमुश्त क्षेत्र विस्तार और ईज ऑफ़ इंडिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने सहित विधायी और नीतिगत सुधार किए गए हैं।

अनुलग्नक-I

‘नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का परिचालन’ के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित संसदीय प्रश्न संख्या 3923 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	प्रचालन किए गए ब्लॉकों की संख्या
1	राजस्थान	8
2	मध्य प्रदेश	11
3	ओडिशा	35
4	कर्नाटक	18
5	छत्तीसगढ़	5
6	गुजरात	14
7	आंध्र प्रदेश	5
8	महाराष्ट्र	3
9	गोवा	6
10	असम	1
कुल		106